# पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org


पत्रांक 1968/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक : 31.10.2026

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेन्शनरों तथा उनके आश्रितों के चिकित्सालय में भर्ती के दौरान/वाह्य रोगी के रूप में उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा–व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित चिकित्सालय को निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गमन की तिथि से दिनांक 31.03.2027 तक की अवधि हेतु मान्यता प्रदान की जाती है:–

| क्र0सं0 | चिकित्सालय का नाम | चिकित्सालय का पता | मान्यता की अवधि | उद्देश्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर | रामपुर रोड, हल्द्वानी, नैनीताल | आदेश निर्गमन की तिथि से दिनांक 31.03.2027 तक | सभी रोगों हेतु |

**शर्ते/प्रतिबन्ध**

1. उक्त चिकित्सालय में उपचारार्थ भर्ती के दौरान/वाहय रोगी के रूप में चिकित्सा कराने पर हुए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं० 2088–एनजी/11/एसईबी० (चतुर्थ)–29–एनजी–11/78, दिनांक 24.05.78, आदेश संख्या 5731/निदे० (मा०सं०)/उपाकालि/अनु०–का०ई० /एम–1 दिनांक 22.08.06 एवं समय–समय पर जारी एतद्विषयक प्रभावी आदेशों में निहित प्राविधानों/ प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।
2. उक्त चिकित्सालय पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० के साथ हुए अनुबन्ध के अनुरूप सी०जी०एच०एस० दरों एवं निर्धारित शर्तों के अधीन पिटकुल के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हुये सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा।
3. कारपोरेशन आदेश संख्या 5731/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु0–का0–ई0/एम–1 दिनांक 22.08.2006 में विहित उपचार के अतिरिक्त किसी परामर्श–शुल्क अथवा अन्य किसी भी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
4. शल्य चिकित्सा की दशा में उपरोक्त चिकित्सा संस्थान द्वारा छुट–पुट व्यय जैसे सहायक/अतिरिक्त नर्सिंग तथा विजिटिंग परामर्श शुल्क, चार्ज नहीं लिया जायेगा। लेकिन प्रयोग की गयी दवाओं तथा अन्य उपयोग की गयी चिकित्सा सामाग्री का व्यय देय एवं अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त विजिटिंग चिकित्सक परामर्श शुल्क प्रतिदिन की दर से भी देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
5. उक्त चिकित्सालय अपने परिसर में एक साईन बोर्ड लगायेगा, जो यह दर्शायेगा–
   **"पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों/ पारिवारिक पेंशनर्स एवं उन पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों के लिए अधिकृत चिकित्सालय"**
6. चिकित्सालय द्वारा पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० का एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें निम्न प्रविष्टियां अनिवार्यतः की जायेंगी –
   1. रोगी का नाम, आयु एवं लिंग
   2. यदि रोगी स्वयं कर्मचारी/अधिकारी नहीं है तो उसके पिता–पति का नाम और रोगी से सम्बन्ध। (केवल पूर्णतया आश्रित होने की स्थिति में)
   3. चिकित्सालय में भर्ती एवं डिसचार्ज की तिथि।
   4. कर्मचारी का वेतनमान तथा तैनाती स्थान।
   5. रोग का विवरण।
   6. कुल प्राप्त की गयी राशि।
   7. निगम अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर।

उक्त रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

क्रमशः.....2/–

7. प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित–प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये चिकित्सा–बीजकों के भुगतान की प्रक्रिया यथावत रहेगी।
8. पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 4452–औस–17/पाकालि/2002–11 (11) एफ/80, दिनांक 09.12.2002, कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1281/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी–5 दिनांक 20.09.2010 एवं समय–समय पर निर्गत संगत आदेशों के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त की जा सकती है।

**प्रबन्ध निदेशक**

**पत्रांक : 1968/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ए–1 तद्दिनांक :**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करावाना सुनिश्चित करें।
5. डॉ0 अमित सिंह, चिकित्सा अधीक्षक (एमएस), पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रामपुर रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)